न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–अनूपपुर

अब्दुल मुईद पुत्र स्व. श्री अब्दुल समद मुसलमान
निवासी–लहसुई वार्ड नं. 1 कोतमा रेल्वे फाटख के पास कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

1– मो0 जमीर पुत्र श्री अब्दुल गपफार
2– अब्दुल बारी पुत्र श्री अब्दुल गपफार
3– मो0 शब्बीर पुत्र श्री अब्दुल गपफार
निवासीगण–लहसुई तहसील कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार कोतमा द्वारा प्रकरण क्रमांक 22/अ–3/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, अनावेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय तहसीलदार कोतमा के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया। कि ग्राम लहसुई मे स्थित भूमि खसरा नं. 71/2/क/1/1 रकवा 2.463 है0 भूमि का नक्शा तरमीम किया जाये।

2– यहकि, उपरोक्त आवेदन पत्र के जानकारी होने पर आवेदक द्वारा अपनी आपत्ति इस आशय से प्रस्तुत की कि उपरोक्त भूमि मेरे स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि है। जिसका विधिवत् सीमांकन उसके पिता द्वारा दिनांक 23.11.1979 कराया जाकर मौके पर नींव/दीवाल बनाकर काबिज/दखिल चले आ रहे है। लेकिन अनावेदकगण द्वारा आवेदक की उपरोक्त भूमि को

(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकनिगरानी-3570-दो/2016 अब्दुल मुईद विरूद्ध मो.जमीर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक अब्दुल मुईद की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी एवं अनावेदक मो.जमीर की ओर अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार कोतमा जिला अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 22/अ-03/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 15-07-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 10-10-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र.	

31.10.18

भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर अनूपपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 26-12-2018 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

31.x.18
(आर.के. जैन)
सदस्य